"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मई 2013—ज्येष्ठ 1, शक 1935

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक/1014/62(U)/2013/10-3/वन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन में, कॉलम (2) के शीर्षक "सहायक ग्रेड-3" के अंतर्गत कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र.

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

2. अनुसूची-तीन में, कॉलम (2) के शीर्षक "शीघ्रलेखक" के अन्तर्गत कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए** — हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी).

(ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए**— अंग्रेजी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी).

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए**— उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन का पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटा एन्ट्री की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

3. अनुसूची-तीन में, कॉलम (2) के शीर्षक "स्टेनो टायपिस्ट" के अन्तर्गत कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी).'

4. अनुसूची-तीन में, कॉलम (2) के शीर्षक "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" के अन्तर्गत कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

या

10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटा एन्ट्री की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

Raipur, the 21st May 2013

NOTIFICATION

No./1014/62(U)/2013/10-3/F.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Recruitment Rules, 2012, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) under heading "Assistent Grade-III" of column (2), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) under heading "Stenographer" of column (2), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Instituted/Stenography Typing Council :—

(a) **For Stenograhper (Hindi)** — Passed Hindi Stenography Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (efficiency test for speed shall be taken).

(b) **For Stenographer (English)**— Passed English Stenography Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (efficiency test for speed shall be taken).

(c) **For Bilingual Stenographer**— Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

3. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) under heading "Steno Typist" of column (2), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

4. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) under heading "Data Entry Operator" of column (2), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

OR

Passed 10th Examination and three year Diploma from any recognized Institute.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.